निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

तारीख दायरा 06.09.2019

प्रकरण संख्या : 72/2019

उनवान

1. हंसराज वल्द मदनलाल उम्र 38 साल जाति मीना निवासी गुडला (खेडली) तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. मदनलाल वल्द किशोर उम्र 60 साल जाति मीना
2. धनराज वल्द मदनलाल उम्र 30 साल जाति मीना निवासी गण गुडला (खेडली) तह0 सांगोद जिला कोटा।
3. रेखा पुत्री मदनलाल 25 साल जाति मीना पत्नी हंसराज ग्राम गुडला (खेडली) तह0 सांगोद जिला कोटा।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनॉक :– 12.02.2021

श्री अब्दुल वहीद अंसारी (वकील वादी)

श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय प्रस्तुत किया है कि ग्राम गुडला (खेडली) पटवार हलका मंडीता तह0 सांगोद में प्रतिवादी नं0 1 कब्जे एवं काश्त व खाते की निम्न खसरा नम्बरान की आराजी स्थित है जो इस प्रकार है :–

रकबा लगान

5	95	1.65 नहरी	36.30
6	96	0.03 नहरी	0.66
कुल किता 6	की	कुल रकबा 3.22 हैक्टर	लगान 70.84

उक्त आराजी पुश्तैनी तथा संयुक्त परिवार की रही है जो पूर्वजों से प्रतिवादी नं0 1 के खाते दर्ज हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। उक्त आराजी में वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। मद नं0 1 में दर्ज आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते एवं कब्जे में ही चली आ रही है।

वादी की शादी हो चुकी है तथा उस का परिवार असल है जिस का भरण पोषण मजदूरी करके करता आ रहा है जिससे परिवार का गुजारा बडी मुश्किल में हो पाता है। जब कि प्रतिवादी नं0 1 समस्त आराजी काश्त कर उसका समस्त लाभ स्वयं प्राप्त करते है और उसमें से वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 को कुछ प्राप्त नहीं होता है तथा प्रतिवादी नं0 1 अपने गलत शौकों की पूर्ति हेतु समस्त रकम खर्च कर देते हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 को आराजी का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। वादी ने प्रतिवादी नं0 1 द्वारा फिजूल खर्चा रोकने तथा आराजी में से हिस्से अनुसार खर्चा देने बाबत कहने पर आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकियां दी जाती है। आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते दर्ज होने के कारण खुर्द बुर्द करने की पूर्ण संभावना उत्पन्न हो गई है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह आराजी में अपने हक की घोषणा करवा कर आराजी का बंटवारा करवा कर खाता व लगान असल दर्ज करवायें।

वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से वाद पत्र की मद नं0 1 में दर्ज आराजी को बराबर से बंटवारा करवाने की कहने पर लडाई झगडा करके घर से अलग कर दिया है इस लिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि आराजी में अपने हिस्से की घोषणा करवायी जावें तथा अलग से खाता व लगान दर्ज करवायें यह इस वाद की विषय वस्तु है। वादी को वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 से आराजी में हिस्से की मांग करने पर लडाई झगडा करने व आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर 2 माह पूर्व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें–

ग्राम गुडला (खेडली) पटवार हलका मंडीता तह0 सांगोद स्थित वाद पत्र की मद नं0 1 में दर्ज आराजी में वादी के हक की घोषणा की जाकर वादी के हिस्से को अलग से खाता व लगान दर्ज किया जावें। वाद पत्र की मद नं0 1 में दर्ज आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा किया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की

अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामें पर न तो वादी न ही प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति दर्ज की। राजीनामा खुले न्यायालय में पढकर सुनाया जाने के बाद तस्दीक किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली में जो जमाबंदी, जवाबदावा, राजीनाम तथा अन्य दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त मैं राजीनामे के अनुसार दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम गुडला (खेडली) पटवार हलका मंडीता में निम्न आराजी स्थित है–

कम सं0	ख0नं0	रकबा	लगान
1	235	0.020 नहरी	4.40
2	243	1.02 नहरी	22.44
3	387	0.20 नहरी	4.40
4	388	0.12 नहरी	2.64
5	95	1.65 नहरी	36.30
6	96	0.03 नहरी	0.66
कुल किता 6	की	कुल रकबा 3.22 हैक्टर	लगान 70.84

उक्त आराजी में राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

हिस्सा वादी हंसराज :– माल ग्राम गुडला तहसील सांगोद की खसरा नं0 243 की 1.02 हैक्टर व खसरा नं0 235 की 0.20 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.22 हैक्टर आराजी।

हिस्सा घनराज प्रतिवादी नं0 2 :– माल ग्राम गुडला तहसील सांगोद की खसरा नं0 95 की 1.65 हैक्टर में 1.22 हैक्टर भूमि पूर्वी तरफ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 मदनलाल :– माल ग्राम गुडला तहसील सांगोद की खसरा नं0 95 की 1.65 में से 0.43 हैक्टर पश्चिमी, खसरा नं0 387 की 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 388 की 0.12 हैक्टर, खसरा नं0 96 की 0.03 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.78 हैक्टर आराजी।

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में राजलगान पृथक–पृथक दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। ... में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का

शुल्क जमा होने पर ओदश की पालना की जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा